

5 RS

ओ३म्

॥ इन्द्रं वाणी ॥

मैं मै ओमाच देवी पुत्री श्रीमान् सेठ गोपीनाथ जी सोमानी जयपुर व धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमान् जी मथुरा प्रसाद जी पुत्रे मौजूद श्रीमान् छोटे लाल जी माहेश्वरी आज सोलहवां वैशाख अजमेर प्रकट करती हूँ और लिखे देती हूँ :-

॥ 1 ॥ मेरे स्वर्गीय पतिदेव की स्त्री आज्ञा के उद्धार और अखाड़ों तथा अन्धाओं की सेवा से अगाध प्रेम था कि स्वयं पतिदेव ने संवत 1955 विक्रमी में श्री मधुरा प्रसाद गुलाब देवी जी एवं कन्या सौभाग्य जैसे ही मन में स्थापित कर दी थी कि जिसमें धार्मिक शास्त्र वैदिक धर्मशास्त्रों के अनुसार सत्य मानता है कि लिखना पढ़ना होता है एवं परन्तु संवत 1966 विक्रमी में अचानक स्वर्गवास हो गया और कार्य्य अधूरा रह गया । तब से मैं अपना स्थानीय और कार्य्य संस्थाओं से प्रार्थना कर बराबर करती रही परन्तु अब मेरी आयु और जीवन का कोई भरोसा नहीं है। आयु 65 वर्ष की हो चुकी है शरीर से मेरी शारीरिक इच्छा है कि श्री मधुराप्रसाद गुलाब देवी जी की स्मृति में जो मैंने संकल्प किया है उसे पूर्ण करूं और मेरे पतिदेव के हृदय के भाव और मेरी अभिलाषा के अनुसार अखाड़ों और अन्धाओं की सेवा के लिये एक धर्मशाला बनवाई जाये जिसमें अखाड़ों और अन्धाओं के लिये स्थान हो और मेरे पतिदेव की इच्छानुसार मेरे स्वर्गवास के पश्चात मेरी सम्पत्ति का मैं यह संकल्प करती हूँ कि मेरे पतिदेव की स्मृति में मेरी स्थायी जायदाद खत्म नं० मुनीम श्री गोपीनाथ मथुरा निवासी की नामें मि० ता० 4-10-1911 ई तदनुसार मिती आसोज शुक्ला 12 सं० 1968 विक्रमी को रजिस्ट्री नम्बर

--2--

दस्त अन्दाज़ सेल्फ रजिस्ट्री कराती है जिसकी एक प्रतिनिधि इस दस्तावेज के साथ बतौर "Schedule" परिशिष्ठ भाग "ज" के नत्थी है

(2) कि अब मैं उपरोक्त गुलाबदेवी एक पक्ष दृष्टि करने वाला

(1) श्री राजबहादुर पं० मिठन लाल जी भार्गव आदे ए
बी एडवोकेट जयपुर रोड़ अजमेर ।

(2) श्री बा० घासूलाल जी एम ए एल एल बी एडवोकेट
जयपुर रोड़ अजमेर ।

(3) श्री बाबू केशवदेव जी माहेश्वरी कमरिया बाबू महल्ला
कैसर गंज अजमेर ।

(4) श्री बाबू गणेश नारायण जी सोमानी बी ए रिटायर्ड
दरबार वकील जयपुर ।

(5) श्री बा० चाँदमल जी बैंक मैनेजर वैदिक यंत्रालय अजमेर ।

(6) श्री बा० श्याम सुन्दर लाल जी गुप्त साहित्य प्रभाकर
अध्यापक डी ए वी हाई स्कूल कैसर गंज अजमेर ।

(7) श्री ~~कैन्टर~~ गोपाल कृष्ण जी खन्ना बी ना एंड को
रेलवे बाबू मुहल्ला अजमेर ।

(8) श्री पं धनपत राय जी माहेश्वरी एम ए साहो एम
एस सी बी टी मास्टर म्यूनिसिपल स्कूल अजमेर ।

(9) श्रीमती गुलाबदेवी जी, कैसरगंज अजमेर ।

(10) और (11) श्रीमती आर्य प्रतिनिधी सभा राजस्थान
मालवा के दो निर्वाचित सदस्य ।

(12) श्री बा० धर्मचन्द जी मैनेजर अजमेर सेन्ट्रल कोपरेटिव
लिमीटेड अजमेर ।

नोट:- श्रीमती आर्य प्रतिनिधी सभा राजस्थान व मालवा के निर्वाचित दो सदस्य प्रतिवर्ष बदलते रहेंगे यदी स्थिती वश ऐसा न हो तो तीन वर्ष में अवश्य बदल देने होंगे ।

प्रत्येक दशा मे निर्वाचित सदस्यों का काल वर्ष के अन्त में समाप्त हो जायगा ।

अन्य प्रतिवादीगण

उपरोक्त, अजमेर ।

---:---

ह० नाम्हाऊ

ह० नासोमी

ट्रस्टीयान : ट्रस्टी बनने वाले : कि जिन को निम्नांकित पंक्तियों में केवल ट्रस्टीयान शब्द से अंकित किया गया है दूसरा पक्ष इस प्रकार से लिखता है और ट्रस्टीयान उसको स्वीकार करते है कि :-

मैं गुलाब देवी अपनी उस सम्पूर्ण चल व अचल सम्पत्ति को कि जिसकी एक सूची इस दस्तावेज के साथ बतौर : Schedule : परिशिष्ठ भाग :ख: नत्थी है उपरोक्त ट्रस्टीयान को सदैव के लिये समर्पित करती हूं कि वे ट्रस्टीयान इस सम्पत्ति से उपरोक्त श्री मथुरा प्रशाद गुलाब देवी आर्य कन्या पाठशाला अजमेर के द्वारा कन्याओं तथा महिलाओं की शिक्षा का कार्य सुचारू रूप से चलावे और उद्देश्य की पूर्ती करे । इस शर्त के साथ कि उक्त ट्रस्टीयान या उनमें से जो जीवित रहे या जो भी सामाजिक ट्रस्टी होवे वे इस शिक्षा कार्य का नीचे लिखे नियमों के अनुसार प्रबन्ध करते रहेंगे ।

ट्रस्टीयान के समुदाय में से मैं गुलाबदेवी तथा :2: श्री [illegible] केशवदेव जी माहेश्वरी कमरिया :3: श्री सेठ गणेश नारायण जी सोमानी, जयपुर अपने जीवन काल पर्यन्त ट्रस्टी बने रहेंगे । शेष ट्रस्टीयान में से अथवा उपरोक्त आजीवन ट्रस्टीयों की मृत्यु के पश्चात जो ट्रस्टीयान होवे उनमें से प्रत्येक वर्ष 1/3 भाग ट्रस्टीयान अपना स्थान रिक्त कर देंगे परन्तु यदि वे सर्व सम्मती से चुने जायेंगे तो वे अपने स्थान पर फिर भी सभासद रह सकेंगे अन्यथा नहीं । नये चुने जाने वाले ट्रस्टीयान उन ही सज्जनों में से चुने जाया करेंगे जो पाठशाला को कम से कम एक रुपया मासीक चंदा देते होंगे और कम से कम नियमानुकूल लगातार एक साल तक चंदा दे चुके होंगे । एक रुपया मासीक सहायता देने वाले सज्जनों के अतिरिक्त कोई और सज्जन विद्या और स्त्री शिक्षा का लगन विशेष के कारण भी ट्रस्टी चुना जा सकेगा परन्तु ऐसे सज्जन की संख्या ट्रस्टीयों में एक से अधिक [illegible] यह नियम ट्रस्ट कार्य होकर कार्य करने के प्रारम्भ काल से पश्चात काम में आवेगा । इस नियम के लागू होने के प्रथम वर्ष अर्थात प्रारम्भ का [illegible] से चौथे वर्ष में बदले जाने वाले ट्रस्टीयों के नाम लौटरी द्वारा ट्रस्टीयान का समुदाय निश्चत करेगा ।

वैदिक धर्म और समाज के सिद्धान्तानुसार तथा नियम संख्या 14 के संबन्ध में विवाद होने की दशा में श्रीमती आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान व मालवा से निर्णय लिया जावेगा और उसका निर्णय अन्तीम होगा और दृस्टीयान को मान्य होगा ।

नियम

(1) इस पाठशाला का नाम श्री मथुराप्रसाद गुलाबदेवी आर्य कन्या पाठशाला ही रहेगा यदी यह महा विद्यालय व विश्व विद्यालय की अवस्था को प्राप्त हो जावे तो इसके साथ पाठशाला के स्थान में महाविद्यालय या विश्वविद्यालय जोड़ दिया जावेगा ।

(2) इस पाठशाला का मुख कार्यालय पाठशाला भवन अजमेर में होगा :-

(3) इस संस्था के निम्न लिखित उद्धश्य होंगे:-

(अ) स्त्री जाती में महर्षी स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज के आदेशानुसार वैदिक धर्म की शिक्षा का प्रचार करना ।

(ब) समया नुसार प्राचिन तथा अरवाचीन शिक्षा द्वारा स्त्री जाती में जागृति उत्पन्न करना ।

(स) धन पर्याप्त प्राप्त हो जाने पर कन्या महा विद्यालय तथा कन्या विश्व विद्यालय बनाना और इसके अतिरिक्त अन्य कन्या पाठशालायें कन्या गुरूकुल, नारी सदन, तथा आवश्यकता अनुसार अन्य लोकोपकारी संस्थाएँ स्त्री जाती के उत्थान हेतु समबन्धित व स्थापित करना आदि आदि ।

(4) इस पाठशाला के प्रबन्ध के लिए निम्नलिखित सज्जनों का एक ट्रस्ट होगा ।

देखो दृस्टियान पृष्ट/ 2

नोट:- सज्जनों की उपस्थिति में आर्य संचालन हुआ तो 2 या यानी कोरम चार ट्रस्टियों का होगा ।

15. इस ट्रस्ट का देख रेख श्रीमती आर्य प्रतिनिधि सभा [illegible] प्रबन्धक अपने दो निर्वाचित सदस्यों द्वारा जिनका वर्णन नियम नम्बर ५ में है उद्देश्य पूर्ति के हेतु तथा हिसाब समबन्धी जाँच भी करती रहेगी ।

16. श्रीमती गुलाब देवी जी श्रीमान् सेठ गणेश नारायण जी सोमाणी और श्री बाबू केशव देव जी माहेश्वरी कमूरिया ट्रस्ट के आजीवन सदस्य होंगे और यदी वे चाहें तो अपनी बाद प्रथम बार के लिये पाठशाला के किसी हितैषी सुयोग्य व्यक्ति को अपने स्थान पर उन का नामांकित करा सकेंगे ।

17. श्री मथुरा प्रसाद गुलाब देवी आर्य कन्या पाठशाला के अधिकार में जितनी चल व अचल सम्पत्ति अब है या भविष्य में होगी बय रहन हिबे वक्षिश द्वारा प्राप्त हो या प्राप्त की जावे उसको किसी भी प्रकार से किसी दशा में बेचने व रहन रखने बक्षीश व हिबे करने का अधिकार किसी को न होगा और यदी कोई रहन बयहिबे या बक्षीश हो जावे तो नाजायज समझी जावेगी । यदी पाठशाला के हित में स्थायी आमदनी बढाने के निमित्त न कि केवल रहन व बेय करने के लिए कोई रहन व बय करने की आवश्यकता पड़े तो ट्रस्टियान की जबी रहन व बय कर सकेंगे जबकि कम से कम आठ ट्रस्टियान उसके लिए सहमत हों ।

18. जिन मकानों में अब पाठशाला होती है वे पाठशाला के काम में आवेगा । इस भवन में जब तक पाठशाला होती रहेगी तब तक इसके मकानों में कोई सिवाय बाबू केशवदेव जी के जो अब किरायेदार की हैसियत से किराये पर रह रहे है व उमराव देवी जी के जिन का विवरण संख्या 13 में है निवास न कर सकेंगे यदी पर्याप्त धन प्राप्त हो जावे या किसी तरह पाठशाला के लिए विशेष तौर से मोल लेकर बनवाकर व बक्षीश हिबे दान इत्यादी द्वारा प्राप्त दूसरा स्थान पाठशाला के लिए प्राप्त हो जावे उस हालत में इन मकानात का किराया पाठशाला के हिसाब में जमा होकर पाठशाला के ही काम में व्यय होगा ।

19. ट्रस्ट के सदस्यों में से कोई सज्जन पाठशाला के किसी मकान में किराये पर लेकर निवास न कर सकेंगे पर यह नियम नं0 8 के अनुसार बा केशवदेव जी माहेश्वरी कमूरिया के लिये लागू न होगा । यदी आवश्यकता वश शाला की वृद्धी के हेतु किसी प्रस्तावक को योग्य स्थान पाठशाला में रखना आवश्यक प्रतीत हो तो ट्रस्ट की आज्ञानुसार ऐसा हो सकेगा ।

अवर सचिव
उप निदेशक, बजट

§10§ पाठशाला की कुल पूंजी तथा धन व चल अचल संपत्ती को कोई भी अधीकारी व सभासद व श्री आर्य प्रतीनीधी सभा राजस्थान व मालवा अजमेर व ट्रस्टियान किसी भी दशा में कर्ज लेकर या और किसी तरह अपने निजी काम में अथवा इस के अतिरिक्त अन्य किसी संस्था के काम में न ला सकेंगे चाहे जैसी भी आवश्यकता तथा आपत्ति क्यों न आवे । पाठशाला को ही उन्नती में सारा पूंजी xxx व्यय की जावेगी ।

§11§ पाठशाला में वैदिक धर्म की शिक्षा अवश्य होगी । यदि विद्यार्थी प्रथमा, मध्यमा उत्तमा, xx शास्त्र आदी उपाधियों के कोर्स पाठ विधा करे तो भी वैदिक धर्म की शिक्षा तथा सद गृहस्थियों आदि की शिक्षा अनिवार्य होगी ।

§12§ यथा संभव पाठशाला स्वतंत्र रखी जावे । यदी सरकार म्यूनिसिपेलिटी व रेलवे आदी से सहायता ली भी जावे तो इस बात का सदा ध्यान रहे कि ऐसी सहायता से पाठशाला की धार्मिक शिक्षा तथा सद गृहस्थ की शिक्षा देने की स्वतंत्रता में कोई बाधा न पड़े ।

§13§ मेरे साथ मेरी विधवा भतीजी §मेरे गुरू की पोती§ उमादेवी लगभग 17 साल से रहती है । इसने मीडिल पैना क्वालिफाई पास कर ली है और पाठशाला में अध्यापिका का काम कर रही है । वह अब भी मेरे साथ पाठशाला में रहा रहती है । उस के आग्रह रहने के लिए मैं इस ट्रस्ट डीड में यह हिदायत दरज करती हूँ कि ट्रस्टियान उसकी पाठशाला में मिडिल क्लास की कन्याओं के कमरे के पास वाले कमरे में आजीवन रहने देवें । उसकी उस में से बे दखल न छ करें अतिरिक्त उस दशा के कि जिसका वर्णन नीचे लिखा गया है क्यों के वह अपना जीवन पाठशाला की सेवा के लिए समर्पण कर रही है और करती रहेगी । वर्तमान की तरह पाठशाला के सारे सामान की देख रेख व सामान लेने देने का काम करती रहेगी । यदी देवात वह कार्य करने में असमर्थ हो जावे तो उसे विद्यार्थी क्लास से कम 15/-रू० मासिक आजीवन दिये जावे इसकी इच्छानुसार कोई योग्य पाठशाला का हित चिंतक स्त्री भी के पास ट्रस्ट की स्वीकृति से रह सकेंगी । यदी पाठशाला भवन का इमारत में कोई घटा बढ़ी वा परिवर्तन किये जाने का मौका होवे तो ट्रस्टियान इसे पाठशाला भवन में ही कोई सुरक्षित स्थान इसके रहने के लिए दे देवें इस सम्बन्ध में ट्रस्टियान की आज्ञा उमराव देवी को

---7---

होगी साथ ही उपरोक्त देवी को पाठशाला के अधिकारियों को युक्त आज्ञानुसार चलना आवश्यक होगा ।

॥14॥ ट्रस्टियान को पाठशाला सम्बन्धी सर्वाधिकार होंगे और मालवा को मान्य होंगे परन्तु यदी कोई विषय विवाद ग्रस्त हो और ट्रस्ट के या ट्रस्टियान के हस्ताक्षर युक्त पत्र श्री आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान व मालवा के पास भेजा जावे तो श्री आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान व मालवा अजमेर अपने साधारण व विशेष अधिवेशन में उस विवादग्रस्त विषय का निर्णय कर देवे तो ट्रस्ट समस्त सदस्यों को मान्य होगा ।

॥15॥ पाठशाला में अभी तक कोई फीस पढ़ाई पर नहीं ली जाती है और भविष्य में भी यथा संभव शिक्षा बिना शुल्क ही दी जावे परन्तु आवश्यकता पड़ने पर ट्रस्टियान को अधिकार होगा समय नुकूल पाठशाला के हित में जैसा उचित समझे विधान करें

॥16॥ पाठशाला की वार्षिक रिपोर्ट आय व्यय के आंकड़े ट्रस्टियान द्वारा प्रति वर्ष प्रकाशित होगी । कन्याओं के उत्साह के निमित्त वार्षिक पारितोषिक वितरण भी होगा जिसमें पाठशाला वार्षिक रिपोर्ट आय व्यय तथा अन्यकार्यों सहित अवश्य पढ़ी जावा करेगी ।

॥17॥ पाठशाला में वैदिक धरम के मन्तव्यों की शिक्षा का उचित परबंध रहैगा ।

॥18॥ ट्रस्ट में अवाध से पूर्व किसी ट्रस्टि के स्थान रिक्त होने पर ट्रस्टियान ही बहुमत से किसी सुयोग्य विद्वान पाठशाला हितैषी व स्त्री शिक्षा प्रेमी धर्मात्मा आर्य सज्जन को लेकर उस अवाध स्थान के लिऐ उस की पूर्ति कर देवेंगे । ट्रस्टियान ही ट्रस्टियान में से अधिकारियों का चुनाव बहुमत से कर लिया करेंगे ।

॥19॥ इस पाठशाला का हिसाब किसी सर्टिफाइड आडिटर से वर्ष में जांचाया जाया करेगा ।

इस बारे इस वसीयतनामा में यह उपरोक्त ट्रस्ट [illegible] राजी खुशी से और होश हवास से बिना किसी बहकावट व दबाव के लिख दिया है कि सदा व सनद रहे और वक्त जरूरत काम आवे ।

पढ़ा.....
सुना.....

सत्य प्रतिलिपि है

उप संचालक, राजस्थान

ह॰ ना॰ सा॰

ह॰ ना॰ सा॰

धर्म चन्दा स्थायी बाबू मथुराप्रसाद जी माहेश्वरी बाबू मुहल्ला केशरगंज अजमेर दि० 24-2-40 हम निम्नलिखित सज्जन जिनके हस्ताक्षर हैं उपरोक्त ट्रस्ट को नियमों सहित सहर्ष स्वीकार करते हैं:-

1. केशवदेव माहेश्वरी कूपरिया बाबू मुहल्ला अजमेर:-
2. घीसूलाल ए. ए. एल एल बी एडवोकेट जयपुर रोड़ अजमेर
3. Mittan Lal Bhargava Rai Bahadur Advocate Jaipur Road, Ajmer
4. ---
5. चान्दमल बैंक मैनेजर सेन्ट्रल बैंक लिमिटेड अजमेर:-
6. श्याम सुन्दर लाल गुप्त साहित्य प्रभाकर अध्यापक डी. ए. वी. हा. स्कूल अजमेर:-
7. गोपाल किशन खन्ना Gopal Kishan Khanna
8. Ghaupat Rai Ajmer
9. गुलाब देवी केशरगंज बाबू मुहल्ला अजमेर
10. भगवान सहाय मंत्री आर्य प्रतिनिधी सभा राजस्थान व मालवा अजमेर:-
11. जगन्नाथ:- उपमंत्री आर्य प्रतिनिधी सभा राजस्थान व मालवा अजमेर।
12. धर्म चंद मैनेजर अजमेर सेंट्रल को आपरेटिव बैंक लिमिटेड अजमेर

नोट:- सं. 12 दी अजमेर सेन्ट्रल को आपरेटिव बैंक लि अजमेर द जेवर और घर रहन पर जो मेरा निजी रुपया परिशिष्ट भाग ब नुसा अ के अनुसार लगा है उसका ब्याज जब तक मैं जिंदा रहूँ मुझे जरूर मिलता रहे।

सं0 12 यदि श्री बाबू गणेश नारायण जी सोमानी बी० वकील दरबार जयपुर जयपुर ट्रस्ट अन्त स्वीकार न करें तो उनके जगह श्री बा. रामदयाल जी सोमानी अजमेर को ले लिया जावें।

परिशिष्ट भाग (क)

लेख हस्तादेश

मैं ठाकुर दास जी के दस्तावेज दस्त बर्दारी का प्रति

(रजिस्टर्ड)

सत्य प्रतिलिपि है
ह० ना० सा०
उप संचालक, सजावेज

---2---
ह० ना० सा०

-ओ३म-

मैं कि ठाकुरदास वल्द जमनादास माहेश्वरी साकिन मथुरा
का हूं जो के मेरे तऊजी बा मथुरा प्रसाद जी माहेश्वरी बड़े धर्मात्मा
और परोपकारी थे और अपनी जिंदगी में ही उन्होंने एक जगह
अपने मकान वाके केसर गंज में ही बोली थी जिसका कि नाम मथुरा
प्रसाद गुलाब देवी आर्य कन्या पाठशाला केसरगंज अजमेर है।
मकान भी पाठशाला के लिये अर्पण कर दिया था और उन की
इच्छा थी कि पाठशाला हमेशा जारी रहे और मेरी ताई जी गुलाब
देवी जी कि उनकी वारिस है और मेरे ताऊ जी के मुक किये
सिलसिले यानी कन्या पाठशाला को हमेशा जारी रखना चाहती
उसमें मेरी रजा मंदी चाहती है इसलिए बजरिये हाजा मैं अपनी
देता हूं कि मेरे ताऊ जी साहब की मुकर की हुई कन्या पाठशाला को
जारी रकुबे और जो मकान कन्या पाठशाला के अर्पण कर रकुबा है उसको
आर्यप्रतीनिधि सभा राजस्थान के नाम रजिस्ट्री करादे या मेरे ताऊ
जी की कुल जायदाद को पाठशाला या और किसी धर्म कार्य में लगा दे
मुझे किसी श्री कीस्म के एतराज से उज्र न होगा। इसलिए यह
ना राजी खुशी और अपने होस हवास से लिख दिया है कि सनद रहे
और वक्त जरूरत के काम आवे।

मिती आसोज शुक्ला 12 सं० 1968 ता 4 अक्टूबर सन 1911

ह० द: ठाकुरदास वल्द जमनादास माहेश्वरी व खुद।

उपर लिखा हुआ सही है।

गवाह

---

1 1 मोहन लाल पुत्र गोविन्दलाल ब्राह्मण कर्की अजमेरी

2 1 बुलाकी मिस्त्री की ये पुत्र नाथत राम जी जाती

3 1 भगवरी प्रसाद पुत्र राम चन्द्र ब्राह्मण कर्की अजमेर

ता० 4-10-11 अजमेर अंग्रेजी में:-

अत्र संदिग्धि

ए-1 साक्षी

ए-1 साक्षी

दाहिने भाग में

श्री पुरा चिन्तामणि की तरफ से दावा पेश हुआ:-

दी अजमेर सेन्ट्रल को आपरेटिव बैंक लिमिटेड अजमेर में 10420/-
520/-

रसीद संख्या	मियाद	रकम संख्या	जमा करने की
9460	1 साल	2055/-	3-9-1940
8956	3 साल	2680/-	1-4-1941
9172	3 साल	695/-	19-2-1941
9485	1 साल	1400/-	30-9-1940
9355	3 साल	3910/-	20-3-1942
	योग	10740/-	

पीपल आफिस सेविंग बैंक खाता नं. 8334 20-2-40 तक 1630-111
301/-

फुटकर व अन्य रकमात

विवरण		
	(1) पुस्तकें लगभग	100/-
	(2) दरी बड़ी 1	66/-
	(3) जाजम 2 आदमी कार चौकोर	40/-
	(4) दरियें 5	40/-
	(5) जाजम सफेद 1	10/-
	(6) गलीचा 1	15/-
	(7) लोहे की अलमारी 1	30/-
	योग:-	301/-

गोशाला भवन का लागत अनुमानी 40000/-

जिसको सजा इस प्रकार है कि अन्दर में गली दरवाजे में सड़क आदर रोड़ पूर्व में सेठ लाला चंद जैन का मोहल्ला और पश्चिम सड़क आम बाजू मुहल्ला:-

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित जेवर और मकान जो और से मिरधी रुपया है वह 600/- रुपयों का है देता हूं :-

(1) बाजूबन्द सोने का जोड़ा जेवर जो साकिन रतलाम:-

रा मि आनरेबल रोड़ के मेरे का एक मकान रहन 600/- रुपये में
रजिस्ट्री हुई ता० 21 अक्टूबर 1935 ई० की रजिस्ट्री नं. जिल्द 115
नं. 129/132 घर न घर 151 का पड़ी।

(2) रोधा [illegible] के उत्तर पश्चिम साकिन लोहारा

ई-11-1940

ई-11-1940

अजमेर की बही जिसमें की अगली चाँदी की नग तीन जेवर जोड़ी एक चाँदी की अंगिया जोड़ी एक और सेवरा जोड़ी एक चाँदी की ता- [illegible] कर बन्धन तीन सेर और सोने का विमलिया एक सोना सदा तीन तोला कुल जेवर 200/- रुपये में ता 22-8-34 को एक सैकड़ा माहवार [illegible] से गिरवी है व साअमाला को निज वरासत सम्पत्ति का शुची जो नीचे देने से अलग है :-

1 मकान नग ए० जो आबू नत्थर मुकर जी के पुत्र जितेन्द्रनाथ और विजेन्द्र नाथ जा से वाके मु वाकू मौहल्ला केसरगंज अजमेर 750/- अंकित साढे सात हजार रुपये में ता 19-6-30 को खरीदा जिसकी [illegible] निम्न प्रकार है :-

पूर्व में रास्ता आम, पश्चिम में हाता सेठ तारीचन्द जैन मसोदाबाद वाले का ब जायदाद श्री मथुरा प्रसाद गुलाब देवी और कच्चा नाबशाला अजमेर उत्तर में रास्ता आम (गली) और दक्षिण में हाता सेठ तारा चंद सेठी (मैसर्स) मसोदाबाद का 2- नकदी का विवरण निम्न प्रकार है ता० 20-2-40 तक :-

(1) पोस्ट आफिस सेविंग बैंक पास बुक नं. 27031 में :- 2000।=11

(2) अरबन बैंक अजमेर के तीन शेयर सं० 13085, 13866 [illegible] तारीख 22-9-31 है 75/- अरबन बैंक में फिकस डिपाजिट [illegible] र. सं. 101/21-1-39 65/-

(3) कमर्शियल बैंक लिमिटेड अजमेर में :- 3500/- 2000/- [illegible] सं. 64, साल 2 के लिए ड्यूडेट 15-6-1940
1000/- र. सं. 78 साल 2 के लिए ड्यूडेट 30-10-19[illegible]
500/- र. सं. 9 साल 3 के लिये ड्यूडेट 20-7-19[illegible]

(4) पैट्रिक मैनाल्थ में 2000/- दो हजार रसीद सं. 27+ 1 साल के लिए 3/- सैकड़ा साल तारीख 1-10-39 ड्यूडेट :-

(5) दी अजमेर सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि. अजमेर 665/-
200/- र. सं. 9367. 5 साल की ता. 15-4-44 [illegible]
265/- र. सं. 8967, 3 साल की ता. 15-5-40
200/- र. सं. 9082, 3 साल की ता. 9-11-40

(6) पोस्ट आफिस केश सर्टीफिकेट 1700/- रु के 1498 [illegible]

पढ़ा [illegible]
सुना [illegible]

सत्य प्रतिलिपि

17 श्री ओझाध्यक्ष बा. केवलदेव जी के पास नकद 1391/-

9942/-

18 मा. विशम्भर नाथ जी पाठक चाँद बावड़ी वाले का मकान नग 1 पाके चाँद बावड़ी ईदगाह के सामने रहन रुपया 3000/- में जिसमें 1800/- लगते रहे।

19 म्यूनिसिपल कमेटी से लेने जमा मेमोरी वास्ते वाटर टैक्सादि के 10/-

---

1810

3 अन्य तापान मथुरा प्रसाद गुलाब देवा आदय कन्या पाठशाला को लगभग 200/-

सर्वयोग:- 11952.111

इन रुपयों के अतिरिक्त तीन सौ सात रुपये आदर्श ज. सं. स. व मारवाड़ की ओर अमानत में है जिसका ब्याज 9/- सी सैकड़ा आता है। यह दस्तावेज श्रीमती गुलाबदेवी जी के कथना नुसार लिखि गई है और उनको पढ़कर सुना भी दी गई है अकलंक चन्दन लेखक आ. ज. सं. ता 24-2-40 ई.

हः गुलाबदेवी धर्मपत्नी स्व. बाबू मथुरा प्रसाद जी खन्ना 24-2-40

जगह हरनामदास खन्ना
S/o Late Prag Das Khanna Babu
mohalla Ajmer 24-2-40
Acting Chief Signal Inspector
B.B. & C.I. Rly Ajmer

As applied for I Sub-Registrar

जगह Sanwal Ajmer arrived this 26th day of February 1940
Prasad Kapoorea between the hours of 5 & 6 P.M. at the Shri Mathura
S/o Late Nawal Ram Prasad Gulab Devi Path-Shala Ajmer situated in Kesar
Babu Mohalla Ganj Babu Mohalla Ajmer when this document
Ajmer 24.2.40 was presented before me for Registration by
Head Clerk Toffei the executant Shrimati Gulab Devi
Signal Office Ajmer

Sd/- Gulab Devi

True Copy
Sd/-
Onkar Parsad
Sub-Registrar Ajmer

Sd/-
Onkar Parsad
Sub-Registrar Ajmer
24-2-40
E-11-111

Execution admitted before me by
Shrimati Gulab Deviji aged about 66 years
widow of late Shri Mathura Prasad Mahajan,
Maheshwari and daughter of Seth Gopi Nath
Somani of Jaipur resident of Ajmer.

The aforesaid executant is
personally known to the Sub-Registrar.
Some of the trustees appointed here by are
also present:-

(1) R.B. Pt. Mitthan Lal Bhargava Advocate
(2) B. Keshab Deo
(3) Pt. Dharam Chand
(4) B. Shyam Sunder Lal Gopal

Sd/- Gulab Deo

Mitthan Lal Bhargava
R B

Keshu Deo

Shyam Sunder Lal Gopal

Sd/-

Onkar Prasad
Sub. Registrar Ajmer
26-2-1940

[illegible]

Sd: [illegible]

[illegible]

E-11-1940

E-11-41